अरावली पर्वतमाला का संरक्षण: पर्यावरण शासन के प्रति उच्चतम न्यायालय का संतुलित दृष्टिकोण

UPSC प्रासंगिकता: **GS पेपर-2 (शासन और न्यायपालिका) तथा GS पेपर-3 (पर्यावरण और आपदा प्रबंधन)।**

चर्चा में क्यों?

नवंबर 2025 में, उच्चतम न्यायालय (SC) ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक **समान परिभाषा** (Uniform Definition) निर्धारित की है। न्यायालय ने नए खनन पट्टों (mining leases) पर रोक लगा दी है और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में इस पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र की रक्षा के लिए **'सतत खनन हेतु प्रबंधन योजना' (MPSM)** तैयार करने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि: अरावली पर्वतमाला का महत्व

अरावली लगभग दो अरब वर्ष पुरानी है, जो इसे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बनाती है। पारिस्थितिक रूप से इसका महत्व इस प्रकार है:

- **मरुस्थलीकरण के विरुद्ध अवरोध:** यह थार मरुस्थल के पूर्व की ओर भारत-गंगा के मैदानी इलाकों में विस्तार को रोकने के लिए एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करती है।
- **पारिस्थितिक सेवाएं:** यह भूजल पुनर्भरण (groundwater recharge), जलवायु नियमन और जैव विविधता का समर्थन करती है।
- **नदियों का उद्गम:** यह चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों का स्रोत है।

पिछले चार दशकों में अत्यधिक कानूनी और अवैध खनन के कारण वायु प्रदूषण, गिरता जल स्तर और पारिस्थितिक विखंडन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।

क्या खनन के विरुद्ध पहले कार्रवाई की गई थी?

- 1990 के दशक से, पर्यावरण मंत्रालय ने केवल स्वीकृत परियोजनाओं तक ही खनन को सीमित किया था, लेकिन उल्लंघन जारी रहे।
- 2009 में, सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।
- मई 2024 में, कोर्ट ने नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) को विस्तृत समीक्षा का कार्य सौंपा।

केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की मुख्य सिफारिशें

1. सभी राज्यों में अरावली का वैज्ञानिक मानचित्रण (Scientific mapping)।
2. व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Macro-level EIA)।

3. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जल निकायों, वन्यजीव गलियारों, NCR क्षेत्रों) में खनन पर रोक।
4. स्टोन-क्रशर इकाइयों का विनियमन।

एक समान परिभाषा की आवश्यकता क्यों थी?

विभिन्न राज्य अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग और चयनात्मक परिभाषाओं का उपयोग कर रहे थे, जिससे नियामक खामियों (loopholes) के माध्यम से खनन को बढ़ावा मिल रहा था।

- **नया मानक:** सुप्रीम कोर्ट ने उस परिभाषा को स्वीकार किया जो **100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों** को अरावली संरचनाओं के रूप में पहचानती है।
- हालांकि निचली पहाड़ियों को बाहर करने पर चिंता जताई गई, लेकिन अदालत ने माना कि नई परिभाषा अधिक समावेशी और प्रशासनिक रूप से व्यावहारिक है।

उच्चतम न्यायालय के अन्य निर्देश

न्यायालय ने **सतत खनन हेतु प्रबंधन योजना (MPSM)** तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

- 'नो-माइनिंग जोन' (जहाँ खनन वर्जित हो) की पहचान।
- केवल अनुमति प्राप्त क्षेत्रों में सीमित और विनियमित खनन।
- वन्यजीव गलियारों और जलभृत (aquifer) पुनर्भरण क्षेत्रों का मानचित्रण।
- पारिस्थितिक वहन क्षमता (Carrying Capacity) का आकलन।
- बहाली और पुनर्वास (Restoration) के उपाय।

यह परियोजना-वार मंजूरी के बजाय **परिदृश्य-स्तरीय नियोजन (Landscape-level planning)** की ओर एक बड़ा बदलाव है।

खनन पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया?

अदालत ने गौर किया कि पूर्व में लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध अक्सर:

- अवैध खनन सिंडिकेट को बढ़ावा देते हैं।
- रेत और पत्थर माफियाओं को मजबूत करते हैं।
- नियामक निगरानी को कम करते हैं।

इसलिए, न्यायालय ने एक **कैलिब्रेटेड (तुलित/संतुलित) दृष्टिकोण** अपनाया:

1. मौजूदा कानूनी खनन सख्त निगरानी में जारी रहेगा।
2. वैज्ञानिक योजना पूरी होने तक नए खनन पर रोक रहेगी।
3. स्थायी रूप से संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

संवैधानिक और कानूनी आधार

यह निर्णय भारत के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र (Environmental Jurisprudence) में निहित है:

- **अनुच्छेद 48A:** पर्यावरण की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है।
- **अनुच्छेद 51A(g):** प्रकृति की रक्षा करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है।
- **पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन (सार्वजनिक विश्वास का सिद्धांत):** प्राकृतिक संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक ट्रस्ट के रूप में रखे जाते हैं।
- **एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle)** और सतत विकास।

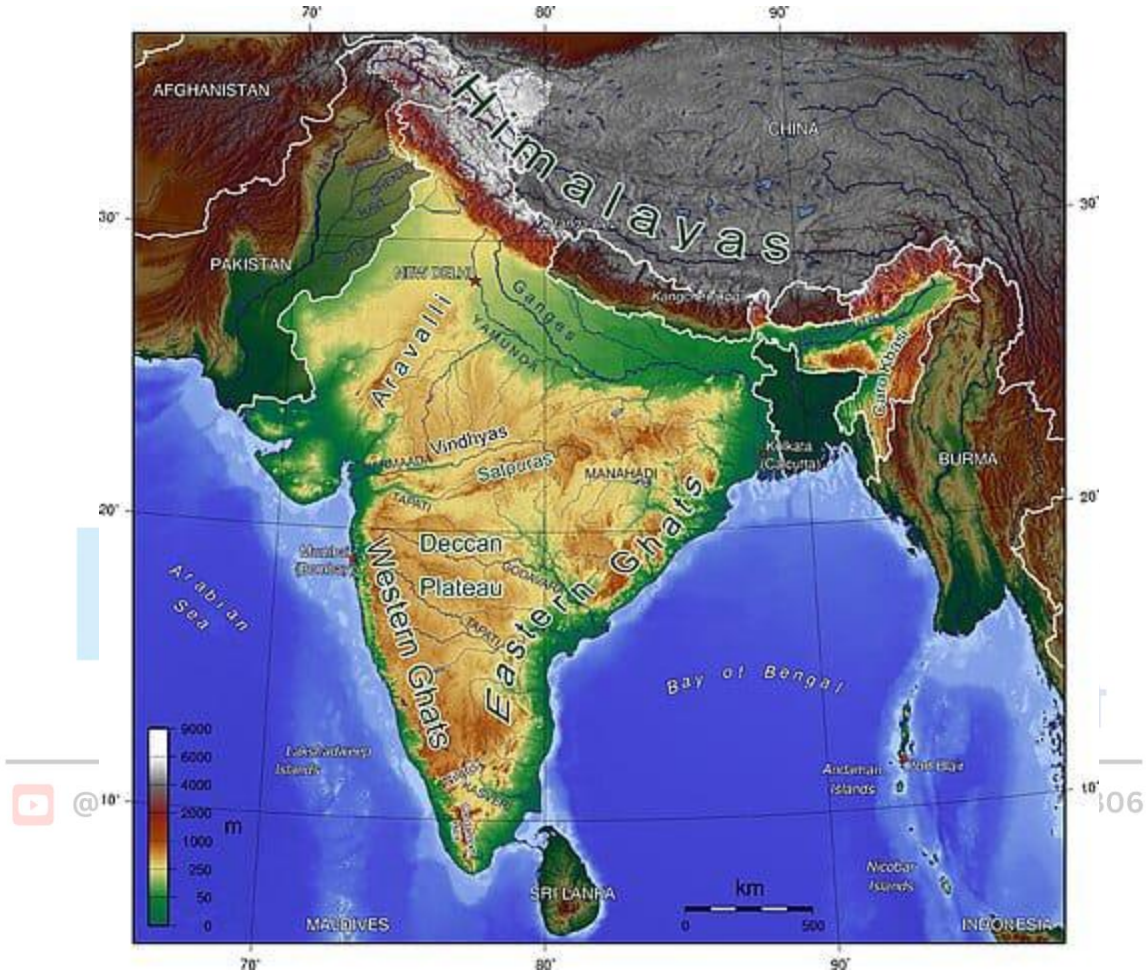

संघवाद और शासन की चुनौतियां

अरावली श्रृंखला चार राज्यों में फैली हुई है, जिससे शासन में कुछ कमियां उजागर होती हैं:

- राज्यों के बीच समन्वय का अभाव।
- राज्यों के राजस्व हितों और राष्ट्रीय पारिस्थितिक प्राथमिकताओं के बीच संघर्ष।
- खंडित नियामक निगरानी। न्यायालय का हस्तक्षेप **सहयोगी पर्यावरण संघवाद (Cooperative Environmental Federalism)** को मजबूत करता है।

जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण का संबंध

अरावली के क्षरण से धूल भरी आंधियां, गर्मी का तनाव (heat stress) और उत्तर-पश्चिम भारत में भूमि क्षरण बढ़ रहा है। केंद्र की **'अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट' (2025)** का उद्देश्य 5 किमी के बफर क्षेत्र में खराब हो चुकी भूमि को बहाल करना है, जो 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि बहाली के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का अरावली आदेश तदर्थ (ad-hoc) विनियमन से **प्रणालीगत पर्यावरण शासन** की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह संवैधानिक कर्तव्य, संघीय सहयोग, जलवायु लचीलापन और सतत विकास को एकीकृत करता है।

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: अरावली पर्वतमाला के संरक्षण में उच्चतम न्यायालय का हालिया हस्तक्षेप पूर्ण पर्यावरणीय प्रतिबंधों के बजाय एक संतुलित और विज्ञान-आधारित शासन की ओर बदलाव को दर्शाता है। अरावली पहाड़ियों के पारिस्थितिक महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और उनके संरक्षण में शामिल संवैधानिक, संघीय और शासन संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

IAS PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806